THE FOREIGN MARRIAGE RULES, 1970[1]

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969) and in supersession of the Special Marriage (Diplomatic and Consular Officers) Rules, 1955, published with the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. S.R.O. 1679, dated 29th July, 1955, the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1. **Short title.**—These rules may be called the Foreign Marriage Rules, 1970.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "Marriage Officer" means a person appointed under section 3 of the Act to be a Marriage Officer;

(d) "section" means a section of the Act.

3. **Particulars regarding name, etc., of Marriage Officer to be displayed in his office building.**—Every Marriage Officer shall arrange to have his name, designation and the working hours of his officer to be written in English, Hindi and the language of the country, place or area in which he functions as such, and displayed in a conspicuous part of the building in which his office is situated.

4. **Notice of intended marriage.**—(1) When a marriage is intended to be solemnized under the Act by or before a Marriage Officer, the parties to the intended marriage shall give notice thereof in writing in the form specified in the First Schedule to the Act to such Officer either in person or by registered post.

(2) The notices shall be accompanied by a statement containing the following particulars,—

(i) Present addresses of the parents of the parties to the intended marriage;

(ii) Name or names of the country or countries in which the parties are ordinarily resident;

(iii) State or States in India to which the parties or, as the case may be, the Indian party, to the marriage belong or belongs.

5. **Payment of fee.**—(1) Where the notice is delivered in person, the fee prescribed therefore in rule 15 shall be paid in cash to the Marriage Officer.

(2) Where the notice is sent by registered post, the fee shall be remitted by money order at the remitter's expense and the receipt issued to the remitter by the post office through which the remittance is made shall be attached to the notice.

6. **Procedure after notice.**—(1) As some of the notice is received by the Marriage Officer, a distinctive serial number shall be entered on it and such number and the date of receipt of the notice shall be attested by the signature of the Marriage Officer.

---

1. *Vide* G.S.R. 1274, dated 19th August, 1970, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Sec. 3(i), dated 19th August, 1970.

(2) If the notice is in conformity with the requirements of the Act, it shall be entered in the Marriage Notice Book which shall be a bound volume, the pages of which are machine-numbered consecutively with a normal index attached.

(3) If the notice is not in conformity with the requirements of the Act, it shall be got rectified by the parties if they are present, or returned to them by post for rectification and retransmission within a date to be fixed for this purpose, if they are not present.

(4) The Marriage Officer shall have every item of rectification attested by both the parties.

7. Publication of notice.—The Marriage Officer shall cause the notice to be published,—

(a) by affixing a true copy thereof under his seal and signature to some conspicuous place in his office;

[1][(b) by serving, personally, or by registered post acknowledgment due true copies thereof under his seal and signature on the parents of the parties to the marriage; and]

(c) by publishing it in a newspaper having circulation,—

(i) in the State or States in India to which the parties or, as the case may be, the Indian party, to the marriage belong or belongs; and

(ii) in the country or countries in which the parties are ordinarily resident.

8. Procedure for inquiry into objection.—(1) If any objection to the solemnisation of the intended marriage (together with the fee prescribed therefore in rule 15) is received by the Marriage Officer, he shall record the nature of the objection in his Marriage Notice Book and fix the date and time for inquiry into the objection [1][and cause notice thereof to be served, personally or by registered post acknowledgment due, in Form I on the person] who has made the objection and also the parties to the intended marriage.

(2) On the date so fixed or on any other date to which the inquiry may be adjourned, the Marriage Officer shall make an inquiry into the objection and record in his own hand in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the evidence given.

[2][**8A. Acknowledgment in case of personal service.**—Where a notice is personally served under rule 7 or rule, 8, the person on whom such notice is served shall sign an acknowledgment of service of the notice.]

9. Time and place of solemnisation.—The intended marriage may be solemnised at any time during office hours of the Marriage Officer or at any other time convenient to him,—

(a) at the official house of residence of the Marriage Officer, or

(b) at the office in which the business of the Marriage Officer is transacted, or

1. Subs. by G.S.R. 1200, dated 16th August, 1972.
2. Ins. by G.S.R. 1200, dated 16th August, 1972.

(c) at such other place within a reasonable distance from such official house or office as the Marriage Officer may in his discretion approve:

Provided that additional fees as specified in rule 15 shall be payable for the solemnisation of any marriage at a place referred to in clause (c).

10. Manner of registration of marriages.—Registration of a marriage under section 17 shall be effected by the Marriage Officer by entering a certificate of the marriage in Form II in the Marriage Certificate Book.

11. Appeals to the Central Government.—An appeal to the Central Government under sub-section (3) of section 11 or sub-section (4) of section 17 shall be in the form of a memorandum which shall be accompanied by a certified copy of—

(i) the notice of the intended marriage or, as the case may be, of the application for registration of the marriage;

(ii) the statement of the reasons for which the Marriage Officer refused to solemnise or, as the case may be, register the marriage.

12. Language for purposes of section 24.—The language for purposes of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 24 shall be English, Hindi or any other language, approved by the Marriage Officer.

13. Transmission of copies of entries in marriage records.—The Marriage Officer shall send to the Secretary to the Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi, three true copies certified in Form III of all entries or corrections made by him in the Marriage Certificate Book at intervals of three months on, or as early as possible after, the 1st day of January, April, July and October in each year and one such copy shall be transmitted by the said Secretary to the Registrar-General or to each of the Registrars-General of Births, Deaths and Marriages of the State or States in India to which the parties to the marriage belong.

14. Form of Marriage Certificate Book.—(1) The Marriage Certificate Book shall be a bound volume. The pages of which are machine-numbered consecutively with a nominal index attached. Every marriage certificate entered therein during each calendar year shall be consecutively numbered and every authenticated copy of a certificate issued to the parties shall bear the number and date, month and year in which the certificate was entered.

(2) For the removal of doubts it is hereby provided that the Marriage Certificate Book maintained under the Special Marriage (Diplomatic and Consular Officer) Rules, 1955 may be continued to be used with necessary adaptations as the Marriage Certificate Book for the purposes of these rules and the Act.

[1][**15. Scale of fees.**—The matters in respect of which fee is leviable and the amount of fee payable therefore shall be as specified in the Table below—

1. Subs. by G.S.R. 861 (E), dated 1st November, 1985.

TABLE

Matter in respect of which a fee is leviable	Amount of fee (in Rupees)
1	2
(i) For every notice of an intended marriage	120.00
(ii) For publication on notice	Actual charges
Note.—A suitable amount will be taken as an advance towards cost of publication of notice in newspapers.	
(iii) For receiving and processing or dealing with an objection	300.00
(iv) For solemnising a marriage	240.00
(v) For solemnising a marriage at a place referred to in rule 9(c)	90.00
Note.—This will be in addition to the fee referred to in item (iv) above	
(vi) For receiving notice of a caveat	240.00
(vii) For certificate by Marriage Officer of notice having been given and posted up	45.00
(viii) For a certified copy of reasons recorded under section 11 or section 17 for refusal to solemnise or, as the case may be for refusal to register, a marriage	25.00
(ix) For certified copy of an entry:—	
(a) in the marriage Notice Book	25.00
(b) in the Marriage Certificate Book	25.00
(x) For certification of a document referred to in sub-section (1) section 24	10.00
(xi) For making a search:—	
(a) if the entry is of the current year	25.00
(b) if the entry relates to any previous year or years	45.00]

•••

विदेशीय विवाह नियम, 1970[1]

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा विदेशी मामले मन्त्रालय, भारत सरकार की सं. एसआर.ओ. 1679, दिनांक 29, जुलाई, 1955 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित विशेष विवाह अधिनियम (राजनयिक एवं कौंसुलर अधिकारी) नियम, 1955 के उपयोग में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम तैयार करती है, अर्थात–

1. संक्षिप्त नाम–इन नियमों को विदेशीय विवाह नियम, 1970 कहा जायेगा।

2. परिभाषाएँ– इस अधिनियम में सन्दर्भ की अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33)।

(ब) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों का संलग्न प्ररूप ।

(स) "विवाह अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अन्तर्गत विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए;

(द) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. विवाह अधिकारी के शासकीय कार्यालय में नाम आदि से सम्बन्धित प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण–प्रत्येक विवाह अधिकारी अपने कार्यालय भवन के सहजदृश्य स्थान पर अपना नाम, पद तथा अपने अधिकारी के कार्यघण्टे अंग्रेजी, हिन्दी तथा देश, स्थान या क्षेत्र, जैसी स्थिति हो, की भाषा में प्रदर्शित करेगा।

4. आशयित विवाह की सूचना–(1) जब कोई विवाह किसी विवाह अधिकारी द्वारा अथवा उसके सम्मुख अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होने के लिए आशयित हो तो आशयित विवाह के पक्षकार व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे अधिकारी को अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विहित प्ररूप में इसकी लिखित सूचना देंगे।

(2) सूचनाओं में निम्नलिखित विवरण सहित कथन शामिल होगा–

(i) आशयित विवाह के पक्षकारों के माता–पिता का वर्तमान पता;

(ii) उस देश या उन देशों के नाम जिसके पक्षकार सामान्य रूप से निवासी हैं;

(iii) भारत का वह राज्य या वे राज्य जिससे पक्षकार या भारतीय पक्ष, जैसी स्थिति हो, विवाह से सम्बन्ध रखता है या रखते हैं।

5. फीस का भुगतान–(1) यदि सूचना व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है तो नियम 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार फीस विवाह अधिकारी को नकद अदा की जायेगी।

---

1 भारत के राजपत्र, अति., भाग II, धारा 3(i), दिनांक 19 अगस्त, 1970 में प्रकाशित जी.एस.आर. 1274, दिनांक 19 अगस्त, 1970 के माध्यम से।

(2) यदि सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है तो फीस विप्रेषक के व्यय पर धनादेश द्वारा भेजनी होगी और डाकघर द्वारा विप्रेषक को निर्गत इसकी रसीद जिसके माध्यम से प्रेषण किया गया है, सूचना के साथ संलग्न करनी होगी।

सूचना के बाद की प्रक्रिया–(1) विवाह अधिकारी द्वारा कुछ सूचना प्राप्त कर लेने के पश्चात इस पर एक विशिष्ट क्रम संख्या इस प्रविष्ट की जायेगी और ऐसी संख्या तथा सूचना प्राप्ति की तिथि का सत्यापन विवाह अधिकारी हस्ताक्षर द्वारा करेगा।

(2) यदि सूचना अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो इसे विवाह सूचना पुस्तक में प्रविष्ट किया जायेगा जो जिल्दबन्द होगी, जिनका पृष्ठांकन मशीन द्वारा क्रमिक रूप में होगा और इसके साथ सामान्य विषयसूची संलग्न करनी होगी।

(3) यदि सूचना अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो यदि पक्षकार उपस्थित हैं तो उनके द्वारा इसे शुद्ध किया जायेगा और यदि वे अनुपस्थित हैं तो एक निर्धारित तिथि के भीतर पक्षकारों के पास डाक द्वारा भेजकर उसे शुद्ध कराकर पुन: वापस मँगाया जायेगा।

(4) विवाह अधिकारी प्रत्येक शुद्धि को दोनों पक्षकारों द्वारा सत्यापित करायेगा।

7. सूचना का प्रकाशन–विवाह अधिकारी सूचना का प्रकाशन–

(क) अपने कायार्लय के किसी सहजदृश्य स्थान पर सूचना की सत्यापित प्रतिलिप अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर के साथ चिपकाएगा;

(ख) विवाह के पक्षकारों के माता–पिता को इस सूचना पर अपनी मुहर लगाकर तथा हस्ताक्षर करके इसकी सत्यापित प्रतिलिपि व्यक्तिगत रूप देकर या रजिस्ट्रीकृत डाक पावती के माध्यम से करेगा।

(ग) इसे किसी ऐसे समाचार–पत्र में प्रकाशित करके जिसका वितरण–

(i) भारत के उस राज्य या राज्यों से विवाह करने वाले पक्षकार या भारतीय पक्ष, जैसी स्थिति हो, सम्बन्ध रखता हो या रखती हो; तथा

(ii) उस देश या उन देशों में जहाँ के पक्षकार निवासी हों।

8. आक्षेप की पूछताछ की प्रक्रिया–(1) यदि विवाह अधिकारी को आशयित विवाह (नियम 15 में इसके लिए विनिर्दिष्ट फीस सहित) के अनुष्ठापन के प्रति कोई आक्षेप प्राप्त करता है तो वह अपनी विवाह सूचना पुस्तक में आक्षेप की प्रकृति का अभिलेख करेगा और आपेक्ष करने वाले व्यक्ति तथा आशयित विवाह के पक्षकारों से आक्षेप [और व्यक्ति के प्ररूप I में व्यक्तिगत रूप से अथवा नियत रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा कारण बताओ सूचना भेजने सहित] की पूछताछ के लिए तिथि तथा समय निर्धारित करेगा।

(2) इस प्रकार नियत तिथि को अथवा कोई अन्य तिथि जिस पर पूछताछ स्थगित की जा सके, विवाह अधिकार आक्षेप के कारणों की पूछताछ करेगा और दिये गये साक्ष्यों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलिखित करेगा।

[8क. व्यक्तिगत सेवा की स्थिति में पावती–जहाँ सूचना नियम 7 अथवा नियम 8 के तहत व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जायेगी वहाँ ऐसी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के पश्चात सेवा की पावती पर हस्ताक्षर करेगा।]

9. अनुष्ठापन का समय एवं स्थान–आशयित विवाह विवाह अधिकारी के कार्यालयी घण्टों में किसी भी समय अथवा उसकी सुविधानुसार किसी अन्य समय–

(क) विवाह अधिकारी के आधिकारिक निवास गृह पर अनुष्ठापित किया जा सकेगा, अथवा

(ख) उस कार्यालय पर जहाँ विवाह अधिकारी का कारोबार सम्पादित होता है वहाँ अनुष्ठापित किया जा सकेगा, अथवा

(ग) ऐसे आधिकारिक गृह अथवा कार्यालय से उचित दूरी के भीतर किसी अन्य स्थान पर जहाँ विवाह अधिकारी अपने विशिष्ट अनुमोदन में हो, अनुष्ठापित किया जा सकेगा।

परन्तु उपबन्ध (ग) में विहित स्थान पर किसी विवाह के अनुष्ठापन हेतु नियम 15 में विनिर्दिष्ट फीस देय होगी।

10. विवाहों के रजिस्ट्रीकरण की रीति–धारा 17 के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक के प्ररूप II में विवाह अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाण–पत्र की प्रविष्टि करने के पश्चात प्रभावी होगा।

11. केन्द्रीय सरकार के पास अपीलें–निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियों सहित धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन ज्ञापन के रूप में होगा–

(i) विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु आशयित विवाह अथवा, जैसी स्थिति हो, आवेदन की सूचना;

(ii) उन कारणों का विवरण जिसके कारण विवाह अधिकारी ने विवाह का अनुष्ठापन अथवा, जैसी स्थिति हो, रजिस्टर करने से मना किया हो।

12. धारा 24 के प्रयोजन हेतु भाषा–धारा 24 की उपधारा (1) के उपबन्ध (ख) के उप–उपबन्ध (ii) के प्रयोजन हेतु भाषा अंग्रेजी, हिन्दी अथवा विवाह अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य भाषा होगी।

13. विवाह अभिलेखों में प्रविष्टि की प्रतियों का पारेषण–विवाह अधिकारी विदेशी मामले मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव के पास समस्त प्रविष्टियों अथवा विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक में अपने द्वारा की गयी शुद्धियों को प्ररूप III में तीन प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों तीन माह के अन्तराल में, अथवा यथाशीघ्र, प्रत्येक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर माह की पहली तारीख को भेजेगा और इसकी एक प्रति कथित सचिव द्वारा रजिस्ट्रार–जनरल अथवा भारत में राज्य अथवा राज्यों के उन प्रत्येक जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रार–जनरलों के पास भेजेगा जिनसे विवाह के पक्षकार सम्बन्धित होंगे।

14. विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक का प्ररूप–(1) विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक जिल्दबन्द होगा। जिसके पृष्ठ संलग्न नामांकित विषय–सूची सहित क्रमागत ढंग से मशीन द्वारा पृष्ठांकित होंगे। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में इसमें

प्रविष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विवाह प्रमाण–पत्र क्रमागत ढंग से पृष्ठांकित होगा और पक्षकारों को निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रत्येक प्रामाणिक प्रति में प्रमाणपत्र की प्रविष्टि की संख्या तथा तिथि, माह और वर्ष अंकित होंगे।

(2) संशयों के निस्तारण हेतु एतद्द्वारा यह प्रावधानित है कि विशेष विवाह (राजनयिक एवं कॉन्सुलर अधिकारी) नियम, 1955 के अधीन अनुरक्षित विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक इन नियमों तथा अधिनियम के प्रयोजनों हेतु विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक के रूप में आवश्यक स्वीकृतियों सहित प्रयोग में लाना जारी रखा जा सकेगा।

[15. फीस का पैमाना–जिन मामलों के सन्दर्भ में फीस प्रभारित है और जिसके लिए फीस की राशि देय है उसे निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट के अनुरूप होगी–

तालिका

वह मामला जिसके सन्दर्भ में फीस प्रभारित है	फीस की राशि (रुपये में)
1	2
(i) किसी आशयित विवाह की प्रत्येक सूचना हेतु	120.00
(ii) सूचना के प्रकाशन हेतु	वास्तविक प्रभार
टिप्पणी–समाचार–पत्र में सूचना के प्रकाशन की लागत के रूप में एक उपयुक्त राशि अग्रिम ली जायेगी]	
(iii) किसी आक्षेप की प्राप्ति तथा प्रक्रिया अथवा संव्यवहार हेतु	300.00
(iv) किसी विवाह के अनुष्ठापन हेतु	240.00
(v) नियम 9(ग) में विहित स्थान पर किसी विवाह के अनुष्ठापन हेतु	90.00
टिप्पणी–यह उपर्युक्त मद (iv) में विहित फीस के अतिरिक्त होगी	
(vi) किसी विरोध–पत्र की सूचना प्राप्ति हेतु	240.00
(vii) छोड़ी गयी तथा पोस्ट की गयी सूचना के विवाह अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र हेतु	45.00
(viii) विवाह के अनुष्ठापन के अस्वीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के अस्वीकरण, जैसी स्थिति हो, हेतु धारा 11 अथवा धारा 17 के अधीन अभिलिखित कारणों की प्रमाणित प्रति हेतु	25.00
(ix) निम्नलिखित में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु–	
(क) विवाह सूचना पुस्तक में	25.00
(ख) विवाह प्रमाण–पत्र पुस्तक में	25.00
(x) धारा 24 की उपधारा (1) में विहित किसी दस्तावेज के प्रमाणन हेतु	10.00
(xi) निम्नलिखित की खोज हेतु–	

(क) यदि वर्तमान वर्ष की कोई प्रविष्टि है	25.00
(ख) यदि प्रविष्टि किसी पूर्व वर्ष या वर्षों से सम्बन्धित है	45.00]